ललित कला अकादेमी में भ्रष्टाचार

*112. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ललित कला अकादेमी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने में अपनी बेबसी प्रकट की है;

(ख) यह अकादेमी किस संगठन के अधीन कार्य करती है और क्या यह अकादेमी मंत्रालय के प्रति जबावदेह है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री) (कुमारी शैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ललित कला अकादेमी सर्जनात्मक दृश्य कलाओं के क्षेत्र में कार्यकलाप को बढ़ावा देने एवं उनका समन्वय करने तथा इसके द्वारा देश की सांस्कृतिक एकता को प्रोन्नत करने वाला एक राष्ट्रीय संगठन है। अकादेमी भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है और यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्कृति विभाग द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। अकादेमी के कार्यकारी बोर्ड, सामान्य परिषद् और वित्त समिति में सरकार द्वारा नामजद व्यक्ति हैं। सभी स्वायत्त राष्ट्रीय संगठनों की तरह अकादेमी का अंतिम रूप से उत्तरदायित्व भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्कृति विभाग के माध्यम से संसद के प्रति है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अकादेमी के लेखे की लेखा-परीक्षा करता है।

स्कूल न जाने वाले बच्चों के संबंध में प्रकाशित समाचार

*113. **श्रीमती सुषमा स्वराज:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 दिसम्बर, 1995 के "बिजनेस स्टैण्डर्ड" में "डोन्ट ब्लेम इट आन पावर्टी एलोन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बच्चों के स्कूल न जाने का प्रमुख कारण शिक्षा के स्तर का समय की आवश्यकताओं के अनुरूप न होना है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) कितने-कितने प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जाते और कितने प्रतिशत बच्चे पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण करने से पूर्व ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री) (डा० कृपासिन्धु भोई): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अध्ययनों से पता चला है कि प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के न जाने के दो मुख्य कारण हैं, सामाजिक आर्थिक विपन्नता तथा स्कूली वातावरण का अनुकूल न होना। जहां एक ओर राज्य सरकारें, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए उचित कदम उठा रही हैं, वहीं दूसरी ओर केन्द्र सरकार आप्रेशन ब्लैकबोर्ड, शिक्षक शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षण के न्यूनतम स्तर, अनौपचारिक शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम जैसे केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों की सहायता कर रही है।

(घ) इस मंत्रालय द्वारा वर्ष 1994-95 में प्रकाशित चुन्निदा शैक्षिक आंकड़ों के अनुसार, पहली से पांचवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों का कुल नामांकन अनुपात 104% है। तथापि भिन्न-भिन्न राज्यों में इस अनुपात में अत्यधिक अन्तर है। एक अनुमान के अनुसार, प्राथमिक स्कूल में न जाने वाले बच्चों की प्रतिशतता 13% के लगभग है। वर्ष 1994-95 में पहली से पांचवीं कक्षाओं में पढ़ाई बीच में ही छोड़ जाने वाले बच्चों की दर 36% थी।

गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की दशा में सुधार करना

*114. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक तथा जीवनयापन की दशाओं में सुधार करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग में राज्य मंत्री) (श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया): (क) और (ख): जी, हां। शहरी स्लमों में पर्यावरणीय सुधार की स्कीम (ईआईयूएस) केन्द्रीय स्कीम के रूप में 1972 में आरम्भ की गयी थी तथा स्लम क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार हेतु राज्य सेक्टर में वर्ष 1974 से चल रही है। इस स्कीम के तहत सात बुनियादी सुविधाओं अर्थात् जल आपूर्ति, सीवरेज, बरसाती नाले की नालियां, सामुदायिक स्नानघर, सामुदायिक शौचालय, गलियों व पटरियों को चौड़ा करना व खंडजे बिछाना और पथ-प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा की स्कीम और प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम में भी ऐसे घटक हैं, जिनका शहरी क्षेत्रों की स्लम आबादी पर प्रभाव पड़ता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल लाइनों का परिवर्तन

*115. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल राज्य मंत्री ने 2 फरवरी, 1996 को दरभंगा-समस्तीपुर, बड़ी लाइन के उद्घाटन अवसर पर दरभंगा-निर्मली, दरभंगा-जयनगर, दरभंगा-नरकटियागंज मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या मंत्री ने निर्मली भपटियाही रेल लाइन को फिर से बनाने की घोषणा भी की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) और (ख) यह घोषित किया गया था कि आमान परिवर्तन की इन परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा, इन सर्वेक्षणों के लिए स्वीकृति दे दी गयी है;

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नई रेलगाड़ियां चलाए जाने संबंधी मानदण्ड

*116. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा नई रेलगाड़ियां चलाए जाने के संबंध में क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) सरकार ने वर्ष 1994-95 के दौरान लम्बी दूरी की कितनी नई रेलगाड़ियां आरंभ की हैं और पश्चिम रेलवे के अंतर्गत गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ से लम्बी दूरी की कितनी नई रेलगाड़ियां आरंभ की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने लखनऊ-इलाहाबाद-राजकोट सेक्टर तथा कलकत्ता-राजकोट सेक्टर पर सीधी नई रेलगाड़ियां प्रारंभ करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) यातायात का औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता।

(ख) 1994-95 के दौरान लंबी दूरी की 5 जोड़ी नई गाड़ियां (1500 कि॰मी॰ या अधिक दूरी तक चलने वाली गाड़ियां) चलाई गई थीं।

1994-95 के दौरान गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ से लंबी दूरी की कोई नई गाड़ी नहीं चलाई गई है। तथापि, 6045/6046 नवजीवन एक्सप्रेस के फेरों में वृद्धि और 6337/6338 कोचीन-अहमदाबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस (दोनों लंबी दूरी की गाड़ियां) के चालन में राजकोट तक विस्तार से गुजरात क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधा की व्यवस्था हुई है।

(ग) और (घ) परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

बहरहाल, कलकत्ता-राजकोट के यात्री 8033/8034 हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस, जिसमें पोरबन्दर के लिए 3 स्लिप सवारी डिब्बे लगे होते हैं, द्वारा यात्रा कर सकते हैं। लखनऊ/इलाहाबाद-राजकोट के यात्री 9165/9166 मुजफ्फरपुर/वाराणसी अहमदाबाद एक्सप्रेस, 5045/5046 गोरखपुर-अहमदाबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस अथवा 5063/5064 गोरखपुर-बांद्रा एक्सप्रेस (अहमदाबाद के लिए 5 स्लिप सवारी डिब्बे) और गाड़ी बदलने की सुविधा का उपयोग करके यात्रा कर सकते है।